




# INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No. : IN-UK71337097370045Y  
 Certificate Issued Date : 23-May-2026 11:42 AM  
 Account Reference : NONACC (SV)/ uk1412504/ DEHRADUN/ UK-DH  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK141250447561253750758Y  
 Purchased by : S N NAUTIYAL SHREE DEV BHOOMI INSTITUTE PONDHA  
 Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement  
 Property Description : NA  
 Consideration Price (Rs.) : 0  
 (Zero)  
 First Party : S N NAUTIYAL SHREE DEV BHOOMI INSTITUTE PONDHA  
 Second Party : REENA DERMAIKA MULTISPECLALITY HOSPITAL DEHRADUN  
 Stamp Duty Paid By : S N NAUTIYAL SHREE DEV BHOOMI INSTITUTE PONDHA  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100  
 (One Hundred only)



*Neerja*  
**NEERJA BHATIA**  
 E-Stamp Vendor  
 Court Compound, Dehradun

Please write or type below this line

## स्मृति पत्र (एम0ओ0यू0)

श्री श्रीनिवास नौटियाल, पुत्र स्व0 श्री बी0एन0 नौटियाल, अध्यक्ष श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलोजी, ग्राम: मझौन, पो0ओ0 पौंघा, वाया प्रेमनगर, देहरादून (आधार नं0-999897747296)

.....प्रथमपक्ष

एवं

यह स्मृति पत्र आज दिनांक 23.05.2026 को स्थान देहरादून गिस0 रीना, डर्मिका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 461/1, खसरा नं0 08, मौजा सालावासा, देहरादून2, उत्तराखण्ड -248001 (आधार नं0-.....)

### Statutory Alert

- The authenticity of the e-stamp certificate should be verified at [www.ustrustamp.gov.in](http://www.ustrustamp.gov.in) or using e-Stamp Mobile App. Any discrepancy in the details on the Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
- The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

*Dr. Reena Shukla*  
**Dr. Reena Shukla**  
 Founder & Managing Director  
 Dermaika Multispecialty Hospital  
 461/1, Chanderlok Colony  
 Rajpur Road, Dehradun (U.K.)

सदैव यह प्रावधान रहेगा कि जहाँ कहीं भी इस विलेख में प्रयुक्त शब्द "प्रथम पक्ष" एवं "द्वितीय पक्ष" प्रयुक्त हुए हैं वहाँ- वहाँ प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष शब्दों में उनके उत्तराधिकारी, हित प्रतिनिधि, स्थानापन्न, विधिविहित प्रतिनिधि शामिल व पाबन्द होंगे।

विदित हो कि द्वितीय पक्ष एक निजी चिकित्सालय है, जो कि डर्मिका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, देहरादून, उत्तराखण्ड के नाम से विख्यात है। चिकित्सालय का निर्माण प्रथम तल....., द्वितीय तल....., तृतीय तल व.....चतुर्थ तल.....पर है जिसके निर्माण का क्षेत्रफल लगभग . ..... वर्ग मीटर तक विस्तृत है, जिसको संलग्न मानचित्र में स्पष्ट किया गया है। उक्त चिकित्सालय में चिकित्सक सेवाएँ संचालित हो रही हैं तथा स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होने की आशंका नहीं है। द्वितीय पक्ष का उपरोक्त चिकित्सालय राज्य सरकार व भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं पैरामेडिकल काउंसिल मानक के अनुसार प्रशिक्षण कार्य पूरा करता है, तथा चिकित्सालय वर्तमान में 50 शैय्याएँ (बैड) क्षमताधारी है।

विदित हो कि प्रथम पक्ष एक शैक्षिक संस्थान है जिसमें सभी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रम का संचालन हो रहा है किन्तु चिकित्सालय निर्माण के अभाव में सभी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रम (बी0एस0सी0 नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग, जी0एन0एम0, एम0एस0सी0 नर्सिंग अन्य नर्सिंग पाठ्यक्रम) एवं सभी पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को संचालन करने में असफल रहा है। इसलिये प्रथम पक्ष को बी0एस0सी0 नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग, जी0एन0एम0, एम0एस0सी0 नर्सिंग (All Specialization) अन्य सभी नर्सिंग पाठ्यक्रम एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के छात्र/छात्राओं के अभ्यासिक/प्रयोगात्मक प्रशिक्षण व संचालन हेतु द्वितीय पक्ष को 50 शैय्याएँ (बैड) के चिकित्सालय की आवश्यकता है। इसलिये प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के चिकित्सालय में 50 शैय्याएँ (बैड) प्रशिक्षण हेतु 05 वर्षों (2026-27, 2027-28, 2028-29, 2029-30, 2030-31) के लिये आवंटित की गयी हैं। यह 50 शैय्याएँ (बैड) प्रथम पक्ष (श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एण्ड टेक्नोलौजी, पौधा, देहरादून) के लिये आवंटन किया गया है। यदि भविष्य में द्वितीय पक्ष शैय्याएँ (बैड) क्षमता बढ़ाते हैं तो 05 वर्ष पूर्व में प्रथम पक्ष (श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एण्ड टेक्नोलौजी, पौधा, देहरादून) के अलावा किसी अन्य नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान को यह शैय्याएँ आवंटन नहीं की जायेगी।

द्वितीय पक्ष घोषणा करता है कि 50 शैय्याएँ (बैड) श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एण्ड टेक्नोलौजी, पौधा, देहरादून के अलावा किसी अन्य संस्थान को आवंटित नहीं किया गया है तथा आगामी 05 वर्षों (2026-27, 2027-28, 2028-29, 2029-30, 2030-31) तक भी किसी अन्य संस्थान को नर्सिंग व पैरामेडिकल आवंटित नहीं की जायेगी।

अतः यह स्मृति पत्र निम्न दर्शाता है:-

1. यह कि द्वितीय पक्ष एक निजी चिकित्सालय है, जो सम्पति डर्मिका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून, उत्तराखण्ड के नाम से विख्यात है, जो एक चिकित्सालय है, जिसके भूतल में निर्मित प्रथम तल..... द्वितीय तल.....तृतीय तल.....चतुर्थ तल..... व है। जिसके निर्माण का कुल क्षेत्रफल लगभग .....वर्ग मीटर तक विस्तृत है।
2. यह कि प्रथम पक्ष नर्सिंग पाठ्यक्रम (बी0एस0सी0 नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग, जी0एन0एम0, एम0एस0सी0 नर्सिंग (All Specialization), अन्य नर्सिंग पाठ्यक्रम) एवं सभी पैरामेडिकल के लिये शैक्षिक कार्य को संचालन अपने इंस्टीट्यूट से करेगा तथा उक्त पाठ्यक्रम के अभ्यासिक/प्रयोगात्मक प्रशिक्षण हेतु द्वितीय पक्ष के चिकित्सालय का उपयोग करेगा।

3. यह कि द्वितीय पक्ष अपने चिकित्सालय को प्रथम पक्ष द्वारा संचालित उपरोक्त पाठ्यक्रम के लिये प्रशिक्षण हेतु 05 वर्षों (2026-27, 2027-28, 2028-29, 2029-30, 2030-31) के लिए उपलब्ध करायेगा जिसके प्रतिफल का प्रकार शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने पर पक्षकारों के मध्य तय पाया जायेगा।
4. यह कि द्वितीय पक्ष का उपरोक्त चिकित्सालय राज्य सरकार व भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं पैरामेडिकल काउंसिल के अनुसार शैक्षिक कार्य करने के मानक को पूरा करता है तथा चिकित्सालय वर्तमान में 50 शैय्याएँ (बैड) क्षमताधारी है तथा वर्तमान में चिकित्सालय भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं पैरामेडिकल काउंसिल के मानकों के अनुसार क्रियाशील है।
5. यह कि उपरोक्त समयावधि 05 वर्षों (2026-27, 2027-28, 2028-29, 2029-30, 2030-31) के अवधि समाप्त होने के पश्चात यदि पक्षकार चाहें तो दोनो पक्षों की सहमति से समयावधि आगे बढ़ाई जा सकती है।
6. यह कि प्रथम पक्ष ने उपरोक्त चिकित्सालय का पूरी तरह निरीक्षण कर लिया है और वह पूर्णतः सन्तुष्ट होकर वर्तमान विलेख अंकित व निष्पादित कर रहा है।
7. द्वितीय पक्ष हर वर्ष CMO से प्राप्त 50 शैय्याओं (बैड) का Clinical Establishment Certificate एवं 50 शैय्याओं (बैड) का Uttarakhand Pollution Control Board का Certificate Hospital Fire NOC, Hospital Approved Building plan व MPCC/Bharat Environment board certificate प्रथम पक्ष को हर वर्ष देना होगा।
8. यह MoU आज दिनांक 23.05.2026 से दिनांक 22.05.2032 (05 वर्षों) के लिये मान्य होगा।
9. यहि प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा यह MoU बीच में ही निरस्त किया जाता है तो प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा एक वर्ष पूर्व पत्र देकर सूचित किया जाना आवश्यक होगा।  
अतः यह स्मृति पत्र आज दिनांक 23.05.2026 को स्थान देहरादून में साक्षीगण के समक्ष अंकित कर दिया है ताकि साक्ष्य रहे और समय पर काम आवे।

ह0 प्रथम पक्ष  
श्रीनिवास नौटियाल  
श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ  
एजुकेशन साईंस एण्ड टैक्नोलॉजी  
पौधा, देहरादून (आधार नं0-999897747296)

ह0 द्वितीय पक्ष  
Dr. Reena Shukla  
Founder & Managing Director  
मिस डर्मिका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल  
461/1, Chandok Colony  
Rajpur Road, Dehradun (U.K)  
461/1, खसरा नं0 08, मौज्जा-सात्वावाला,  
देहरादून उत्तराखण्ड  
आधार न0 .....

गवाहन:-

1. डॉ0 शिवानंद पाटिल, निदेशक  
श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साईंस  
एण्ड टैक्नोलॉजी गांव-मझौन, पौधा  
जनपद-देहरादून  
आधार न0 717354337064

2. अभिनव नौटियाल,  
श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साईंस  
एण्ड टैक्नोलॉजी गांव-मझौन, पौधा  
जनपद-देहरादून  
आधार न0 482603741593